13.12.23 पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अभिवक्ता एवं अपीलार्थी आज उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी एवं अभिवक्ता को न्यायालय होने की ओर से तीन बार आज से लगवाई गई। परन्तु न तो अपीलार्थी उपस्थित हुए और न ही अभिवक्ता उपस्थित हुए है। ऐसे में अपील को अनावश्यक रूप से विचाराधीन रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अभिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील की सुनवाई की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण से कार्य हो LC का रेकर्ड लौटाया जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर